न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 46/2006/75 एलआर एक्ट

1. बजरंग लाल पुत्र हनुमान प्रसाद जाति छिम्पा निवासी नोहर जिला हनुमानगढ़।

————अपीलान्ट

बनाम

1. खेताराम पुत्र श्री श्योकरण जाति ब्राह्मण निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (फौत)

1/1 सीता देवी पत्नी खेताराम जाति ब्राह्मण निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

1/2 विद्यादेवी पुत्री खेतारामजाति ब्राह्मण निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

1/3 भंवरी देवी पुत्री खेताराम जाति ब्राह्मण निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

1/4 बलवीर पुत्र खेताराम जाति ब्राह्मण निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

1/5 श्यामा पुत्र खेताराम जाति ब्राह्मण निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2. धन्नाराम पुत्र श्योकरण जाति ब्राह्मण निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. प्रहलाद पुत्र श्योकरण जाति ब्राह्मण निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. हनुमान प्रसाद पुत्र श्योकरण जाति ब्राह्मण निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ़।

————रेस्पोडेन्टस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.02.2006 न्यायालय उपखण्डाधिकारी नोहर
प्र0सं0 129/2005 बअनवानी आंवटन प्रार्थना पत्र खेताराम आदि

उपस्थितः–
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री विजय सिंह कड़वासरा रेस्पोडेन्टस

निर्णय दिनांक 26.04.2018

1. प्रकरण में सारगर्भित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टस को चक 6 आर पी एम की 3 बिघा भूमि टी0 सी0 धारी के उपस्थित नहीं होने एवं अन्य पड़ोसियान के उपस्थित नहीं होने से बतौर स्माल पैंच भूमि अपीलाधीन निर्णय से आवंटित की गई है जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि अपीलांटस को टी0 सी0 पर आंवटित थी। अपीलान्ट का टी0 सी0 आवंटन कभी खारिज नहीं हुआ। अपीलान्ट टी0 सी0 धारक होने के कारण भूमि को पुख्ता आंवटन का अधिकारी था पूर्व में भी इस भूमि का आंवटन रेस्पोडेन्ट को कर दिया था जो माननीय राजस्व मण्डल अजमेर तक

खारिज कर दिया गया एवं अपीलान्ट को सुनकर पुनः निर्णय पारित करने हेतू पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को लौटाई जानी सही मानी गई थी। आवंटन नियमों में टी0 सी0 से पुख्ता आवंटन के प्रावधानो में टी0 सी आवंटी को पुख्ता आवंटन हेतू प्राथमिकता दी गई है एवं अपीलान्ट ने ढालबांछ सवत् 2034 से 2048 तक की अपील में प्रस्तुत की एवं इस भूमि की रकम की रसीद भी प्रस्तुत की है जिसे दरकिनार कर इस भूमि को स्माल पैंच में आंवटन हेतू उपलब्ध नहीं होने के उपरांत भी रेस्पोडेन्ट को स्माल पैंच में आंवटन कर दी गई इस हेतू कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया एवं बिना किसी आवेदन पत्र के ही पत्रावली साक्ष्य हेतू मुकरर्र होने के उपरान्त भी बिना बहस सुने ही कैम्प पिचकराई में रेस्पोडेन्ट के अलावा अन्य किसी के उपस्थित नहीं होने पर विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो खारिज किया जावे। अपने कथनो के समर्थन में 1990 आर आर डी पेज 127 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेन्ट को बतौर स्मालपैंच आवंटित की गई है रेस्पोडेन्ट का प्रश्नगत भूमि के चिपता हुआ रकबा है जबकि अपीलान्ट का इस भूमि के चिपता हुआ कोई रकबा नहीं है। इसलिए अपीलान्ट आवंटन की पात्रता नहीं रखता है। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया था लेकिन उसके उपस्थित न होने के कारण अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत पारित किया है अपने कथनो के समर्थन में अधवक्ता रेस्पोडेन्ट ने 2002 आर आर डी पेज 188 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।
5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपील प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतू कथन किये।
6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन भली भांति किया गया व अपील पत्रावली एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम का कोई जबाब रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत नहीं हुआ है एवं अपील प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना श्रेयस्कर होने से आवेदन पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा आवेदन पत्र आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर नकल जमाबन्दी सं0 2067 से 2070 चक 6 आर पी एम तहसील नोहर खाता संख्या 15/3 व खाता संख्या 162/110 प्रस्तुत किये है एवं रिबटल में अपीलान्ट द्वारा प्रमाणित प्रतियां ढालबाछ चक 6 आर पी एम बहक बजरंगलाल संवत् 2034, 2036, 2039, 2040, 2045, सन् 1986–87, सम्वत 2048 एवं रसीद रकम मालकाना दिनांक 17.11.1994, 04.01.1984, 02.02.1983, 13.03.1983, 16.07.1995 पेश की गई चूॅकि उक्त समस्त दस्तावेजात प्रकरण में अन्तरनिहित विवाद बिन्दुओं को निस्तारित करने हेतू सहायक दस्तावेजात है एवं प्रश्नगत भूमि से संबंधित है इसलिए उक्त दस्तावेजात को न्यायहित में अभिलेख पर लिये जाते है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि चक 6 आर पी एम के प0 न0 297/394 (44) के किला न0 1,9,10 की 3 बिघा भूमि रेस्पो0 को बतौर स्माल पैंच आवंटित किये जाने के आदेश अधिनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय पारित किये है जबकि अपीलान्ट प्रश्नगत भूमि का अस्थाई काश्तकार होने के आधार पर पुख्ता आवंटन हेतू अपनी पात्रता होने से पुख्ता आवंटन हेतू अनुतोष चाहता है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि का अपीलान्ट को अस्थाई काश्तकार होना तो माना है। परन्तु अस्थाई काश्तकार का उपस्थित नहीं होने एवं

वर्तमान में कब्जा नहीं होने एवं अन्य पड़ोसी काश्तकारान के उपस्थित नहीं होने के आधार पर रेस्पो0 को बतौर स्मालपैंच भूमि आवंटित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 10.01.2006 को उभयपक्ष को सबूत हेतू अवसर दिया जाकर पत्रावली में पेशी 23.01.2006 मुकरर्र की गई है एवं 23.01.2006 को सिधे ही पत्रावली बिना किसी पक्ष के आवेदन पर 04.02.2006 की पेशी हेतू कैम्प पिचकराई में पेशी में रखी गई एवं उसी रोज अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 1990 आर आर डी पेज 127 में राज0 उप0 (भाखरा प्रोजेक्ट राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 में अस्थाई काश्तकार को भूमि आवंटन में वरियता होना माना गया है। उक्त परिस्थिति में जब पत्रावली साक्ष्य पर थी एवं पक्षकारान के मध्य कोई सहमति नहीं थी एवं साक्ष्य हेतू पत्रावली पेशी में चल रही थी तो बिना साक्ष्य बन्द किये एवं अपीलान्ट की सुनवाई किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विचारण न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। इसलिये न्यायहित में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को उभयपक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतू प्रेषित किया जाना उचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2006 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट व रेस्पो0 को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.05.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official